राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

70वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2019

कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 70वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2019 को श्री उत्पल कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्री सुचिन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास, एम.एस.एम.ई. एवं अन्य विभाग), उत्तराखंड शासन, श्री अमित नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, श्री राजेश कुमार शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री सुनील चावला, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री विजय रंजन, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक तथा श्री बरकत अली, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं शासकीय विभागों के उच्च अधिकारी, समस्त बैंकों के नियंत्रक उपस्थित थे।

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा एवं महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा निम्नानुसार की गयी :

प्राकृतिक आपदा - राहत उपाय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र) :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा शासन से अनुरोध किया गया कि चिन्हित / घोषित आपदाग्रस्त क्षेत्रों / जिलों की सूची बैंकों को शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आपदाग्रस्त घोषित क्षेत्रों के ऋण खातों में राहत हेतु विभिन्न उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के Master Direction - Reserve Bank of India (Relief Measures by banks in areas affected by Natural Calamities) में दिए गए instructions के अनुरुप प्रभावी किए जा सकें, जिसमें ऋण खातों का पुनर्गठन, ऋण अवधि का निश्चित सीमा के अंतर्गत extension एवं यदि आवश्यक हो, नया ऋण स्वीकृत करना शामिल है। इस संबंध में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में तीन जिले उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ आपदा प्रभावित हैं। अत: उक्त संबंध में निर्णय लेकर शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित कर दी जाएगी।

इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे शासन द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर शाखा स्तर पर ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के instructions के अनुसार रिस्ट्रक्चर करें तथा आवश्यक कार्यवाही कर पाक्षिक रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

अल्पावधि एवं दीर्धावधि फसलों का निर्धारण (Short Term & Long Term Crop) :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में अल्पावधि एवं दीर्धावधि फसल का निर्धारण कृषि विभाग द्वारा किया जाना है तथा फसल की बुआई एवं कटाई के समय के आधार पर ही कृषि ऋणों के गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) का निर्धारण बैंकों

के स्तर पर किया जाता है। मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा कहा गया कि कृषि ऋण से संबंधित Financing में क्या Single Crop के लिए तो ऋण नहीं दिया जा रहा है, बैंक इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि विभाग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि इस विषयक वांछित दोनों सूचनाएं बैंकों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं।

<u>पिरुल नीति</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा पिरुल नीति के अंतर्गत राज्य में उद्यमियों को वित्तपोषित किए जाने की संभाव्यता एवं प्रगति के संबंध में जानना चाहा। इस अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 02 जुलाई, 2019 को उरेडा के साथ अन्य स्टेकहोल्डर्स एवं बैंकों के साथ बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उरेडा विभाग से स्पष्टीकरण अपेक्षित है :

1. पावर प्लांट से यूपीसीएल तक विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन की लागत को प्रोजेक्ट लागत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना।

2. आठ माह के पिरुल भण्डारण की लागत को कार्यशील पूँजी के तौर पर प्रोजेक्ट की लागत में शामिल किया जाना।

3. आठ माह के पिरुल संग्रहण हेतु किए जाने वाले वित्तपोषण पर Hypothecation of Stock के लिए बीमा सुरक्षा का प्रावधान।

प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा कहा गया कि उक्त विषय में निर्णय उरेडा विभाग द्वारा लिया जाएगा तथा उरेडा विभाग द्वारा ही प्रोजेक्ट को Re-schedule करना होगा।

उरेडा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण नहीं दिए जा रहे हैं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के बैंकयोग्य बन जाने पर व्यक्तिगत उद्यमियों को CGTMSE के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना ऋण (ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों को छोड़कर) प्रदान किये जाने पर सभी प्रमुख बैंकों द्वारा उक्त बैठक दिनांक 02 जुलाई, 2019 में सहमति प्रदान की गयी है। (CGTMSE coverage की राशि **₹ 2.00 करोड़** तक के ऋण के लिए उपलब्ध है, यदि उद्यमी CGTMSE फीस अदा करने हेतु सहमत हो।)

प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा उरेडा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे पिरुल नीति हेतु आयोजित बैठक दिनांक 02 जुलाई, 2019 में उठाए गए सभी बिंदुओं के संबंध में नीति स्पष्ट कर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराएं।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेड़ा को अवगत कराया गया कि पिरुल नीति के अंतर्गत मार्जिन मनी / सब्सिडी / सावधि ऋण / कैश क्रेडिट लिमिट के संबंध में नीति स्पष्ट करें, जिससे योजनांतर्गत बैंकों द्वारा वित्तपोषण की कार्यवाही की जा सके।

<u>मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 (Model Land leasing Act)</u> :

सहायक महाप्रबंधक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि "केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम ड्राफ्ट के अनुरुप दिए गए बिंदुओं को राजस्व विभाग के उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016" में समाहित कर लिया गया है, की पुष्टि प्रतीक्षित है।

सहायक महाप्रबंधक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाया गया कि यद्यपि 30 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 343/XXXVI(3)/2016/73(1)/2016 में अधिकतम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर कृषि भूमि पर बैंक ऋण प्राप्त करना, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत होना एवं फसल बीमा का लाभ प्राप्त करना आदि बिंदु समाहित हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांग की गयी है कि केंद्र के Model Land leasing Act 2016 के अंतर्गत सभी बिंदुओं को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में शामिल कर लिया है की पुष्टि वांछनीय है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया गया कि जब विधायिका द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है तो पत्र द्वारा पुष्टि का कोई औचित्य नहीं है।

<u>कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming)</u> :

उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि भारत सरकार के Model Act : Agriculture Produce & Livestock Contract Farming and Services (Promotion & Facilitation) Act, 2018 के प्रावधानों को राज्य में लागू करने विषयक की अधिसूचना के अन्तर्गत अधिकांश प्रावधानों को उक्त एक्ट में कवर किया गया है, परन्तु भारत सरकार के माडल एक्ट 2018 के अनुसार Contract Farming को APMC Act से बाहर रखा जाना है, क्यों कि इससे Business player होने के कारण व्यक्तिगत हितों के टकराव की सम्भावना है। अत: कृषि विभाग से अनुरोध है कि Model Act : Agriculture Produce & Livestock Contract Farming and Services (Promotion & Facilitation) Act, 2018 के प्रावधानों को राज्य के संदर्भ में अध्ययन कर वांछित संशोधन के विषय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत करायें। इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि इस विषयक शीघ्र कार्यावाही कर सूचना उपलब्ध कराएं।

<u>Villages inadequately covered or uncovered by financial infrastructure on Jan Dhan Darshak GIS App</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NIC के सहयोग से GIS Portal पर uploaded उत्तराखंड में ऐसे 124 गाँवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित की गयी थी,

जो कि बैंकिंग की आधारभूत सुविधाओं से वंचित थे, का परीक्षण करने पर वर्तमान में 12 गाँव शेष हैं, जो कि बैंकिंग सुविधारहित पाए गए हैं। उक्त संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित इन गाँवों में बहुत कम परिवार तीन-चार माह हेतु प्रवास करते हैं व अन्य समय में स्थायी रुप से बाहर अन्यत्र स्थानों पर निवास करते हैं।

इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा बताया गया कि जब इन गाँव में सरकार द्वारा सड़क, बिजली पानी, दूरसंचार जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उन्हें बैंकिंग सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। अत: वहाँ तीन-चार प्रवास माह की अवधि हेतु बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिये 31 अगस्त, 2019 तक बी.सी. नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

<u>बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि रिजर्व बैंक के रोडमैप के आधार पर वर्ष 2012 में आबंटित 2149 एस.एस.ए. के सापेक्ष 86 एस.एस.ए. बैंकिंग आधारभूत सुविधा हेतु लम्बित है। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा 05 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग सुविधा होने पर कुछ गाँवों के छूटने की आशंका व्यक्त की गयी, इस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बताया गया कि उक्त प्रक्रिया भारत सरकार के निर्देशानुसार Google Distance Measurement के अनुसार अपनाई गयी है। यद्यपि अधिकांशत: गाँव (SSAs) सड़क मार्ग व पैदल मार्ग के आधार पर शाखा, बी.सी., India Post Payments Bank द्वारा बैंकिंग सुविधा से संतृप्त है। फिर भी Distance Measurement के आधार पर संतृप्त गाँव को अग्रणी जिला प्रबंधक स्तर से पुन: परीक्षण करा लिया जाएगा।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा जानना चाहा कि क्या कुटि गाँव बैंकिंग सुविधा से कवर है, जिस पर सहायक महाप्रबंधक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा रिकार्ड देखने के बाद कुटि गाँव में CSP के माध्यम से बैंकिंग सुविधा होने की पुष्टि की गयी।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा India Post Payments Bank के बारे में सूचना मांगे जाने पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बताया गया कि India Post Payments Bank द्वारा उन्हीं गाँवों को कवर किया गया है जहाँ पर उनके CBS में roll out होने की सूचना Branch ID Code के साथ India Post Payments Bank के सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी है।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सुझाव दिया गया कि बैंकिंग सुविधा रहित गाँवों में मोबाइल वैन से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिसमें बैंकों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा किए जाने का प्रावधान है।

Business Correspondent Certification - Graded Certification process :

सहायक महाप्रबंधक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए बी.सी. को B.C. Certification कोर्स अवश्य करा लें। उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए पुराने बी.सी. को मार्च, 2022 तक तथा नये बी.सी. को 09 माह के अंदर B.C. Certification कोर्स कराना अनिवार्य है।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे उनके द्वारा नियुक्त किए गए समस्त बी.सी. को B.C. Certification कोर्स पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे वे ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर सकें। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में B.C. Certification कोर्स करने वाले बी.सी. का विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे 31 अक्टूबर, 2019 तक उक्त संबंध में सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें अभी तक राज्य में कार्यरत 2200 बी.सी. में से मात्र 600 बी.सी. का डाटा अपलोड किया गया हैं। साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि वे नियुक्त किए गए समस्त बी.सी. का पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि जनसाधारण को अपने क्षेत्र विशेष में कार्यरत बी.सी. की पूर्ण सूचना उपलब्ध हो सके।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि B.C. Certification कोर्स संचालित किए जाने हेतु खर्चों की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा किए जाने का प्रावधान है। अत: सभी बैंक कोर्स पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावा करें।

वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम त्रैमास में निर्धारित मानक 15% के सापेक्ष 29% की प्रगति दर्ज की गयी है, जिस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की सराहना की गयी तथा आशा ब्यक्त की गयी कि आगामी त्रैमास में लक्ष्य 40% के सापेक्ष 55% की प्रगति हेतु प्रयास करेंगे। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा प्रथम त्रैमास के आँकड़ों की अच्छी प्रगति के कारणों का जानना चाहा, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बताया गया कि राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के साथ बैठक कर पुष्टि प्राप्त कर ली जाएगी।

सचिव (वित्त) द्वारा बताया गया कि क्या वार्षिक ऋण योजना **से सम्बन्धित आंकडे** मासिक आधार पर प्रगति समीक्षा हेतु समेकित किये जा सकते हैं। इस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बताया गया कि सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के डाटा MIS में उपलब्ध न होने के कारण यह संभव नहीं हो पायेगा। यदि शासन स्तर पर कोई विशेष डाटा अपेक्षित हों, तो बैंकों

से संदर्भित डाटा हेतु विशेष आग्रह कर, प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के लीड बैंक स्कीम / सर्कूलर के अनुसार त्रैमास समीक्षा का प्रावधान है तथा सभी बैंकों के कारपोरेट कार्यालय इसी निर्देश के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

<u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य ₹ 8031 करोड़ के सापेक्ष प्रथम त्रैमास में ₹ 3547 करोड़ की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का 44% है।

प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की पिछली बैठक में किए गए चर्चा के अनुक्रम में एम.एस.एम.ई. की outstanding राशि में अपेक्षित वृद्धि ना होने का कारण जानना चाहा, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड को बताया गया कि outstanding राशि निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है :

1. बैंकों द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूँजी (कैश क्रेडिट लिमिट) के सापेक्ष उद्यमी द्वारा आहरित की गयी राशि।

2. कुछ उद्यम में एक निश्चित अवधि के दौरान ही कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग उच्चतम स्तर पर किया जाता है।

इस पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि हल्द्वानी क्षेत्र में भी बैंकों द्वारा खनन क्षेत्र में स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग निश्चित समय अवधि में अक्टूबर माह के बाद प्रारम्भ किया जाता है।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी प्रमुख बैंक स्वीकृत ऋण सीमा में से unutilized limit (sanction limit - outstanding) का डाटा संकलित करें।

अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि एम.एस.एम.ई. सेक्टर में वित्तपोषित इकाइयों की सख्या कम हो रही है, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे उनके बैंक द्वारा वित्तपोषित इकाईयाँ, जो अकार्यरत हो गयी हैं, का डाटा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष दर वर्ष तुलनात्मक आंकलन करने हेतु कहा गया। साथ ही सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि दूर-दराज क्षेत्रों में इकाई स्थापित किए जाने हेतु वे उद्यमियों का सहयोग करें।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक अवगत कराया गया कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज

एसोसिएशन को भी आमंत्रित किया जाएगा। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को कहा कि वे योजनांतर्गत ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित करें, ताकि वांछित प्रगति दर्ज हो सके।

<u>किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्त (KCC Saturation) अभियान</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए एक अभियान दिनांक 15.08.2019 से 45 दिन के लिए राज्य के समस्त जिलों में शुरु किया गया है, जिसमें ऐसे सभी कृषक जो कृषि के साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें **₹ 3.00 लाख** तक की कुल सीमा के भीतर एक अतिरिक्त **₹ 1.00 लाख** की उप-सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है। इस पर **Interest Subvention / Prompt Repayment Incentive** भी लागू होगा। वे कृषक जो पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, उन्हें **₹ 2.00 लाख** की क्रेडिट सीमा के साथ एक नया के.सी.सी. प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिस पर **Interest Subvention / Prompt Repayment Incentive** भी लागू होगा।

संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे पात्र कृषकों द्वारा बैंक शाखा में के.सी.सी. हेतु आवेदन किए जाने की तिथि से 15 दिन के अंदर उन्हें के.सी.सी. जारी करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक जिले में के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. आबंटन हेतु संबंधित विभाग तथा बैंक आपसी समन्वय से अभियान को सफल बनाने हेतु सार्थक प्रयास करें।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड द्वारा कृषि विभाग से के.सी.सी. संतृप्त हेतु किए गए कार्यों / प्रयासों की अद्यतन जानकारी मांगी गयी, जिस पर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस दिशा में हमारे द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों / बैंकों के सहयोग से जिला स्तरीय अभियान संचालित किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा कोई जानकारी होने पर अनभिज्ञता प्रकट की गयी।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में अग्रणी जिला प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर गाँव-गाँव में कैम्प के माध्यम से ऋण आवेदन पत्र **source** कर, बैंक शाखाओं को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराएं साथ ही ऋण वितरण की कार्यवाही हेतु follow up करें।

अग्रणी जिला प्रबंधक, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि यदि रेखीय विभागों द्वारा के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों का क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध कराया जाए, जो कि के.सी.सी. संतृप्त में सहायक होगा।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में राज्य में **Warehouse Reciept** के विरुद्ध मात्र दो ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि वे **Warehouse Reciept** के विरुद्ध ऋण स्वीकृति में गति लाएंगे।

<u>किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि - अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण की प्रगति</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में **33,261** ऋण खातों में **₹ 940.82 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रगति को अपर्याप्त बताया। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से **2456 के.सी.सी.** के विरुद्ध **₹ 218.21 करोड़** ऋण वितरित किए जाने को अव्यवहार्य बताते हुए संबंधित बैंक से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित उत्तराखंड के प्रगति आँकड़े कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सरकार के रेखीय विभाग एवं बैंकों को आपसी समन्वय स्थापित कर सार्थक कदम उठाने होंगे।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर इस विषयक संबंधित विभागों, बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड को शामिल करते हुए कमेटी गठित किए जाने की आवश्यकता बतायी।

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> :

संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्डधारकों की फसल का बीमा करवाना सुनिश्चित करें तथा उनका डाटा समय पर पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि बीमा कंपनी को राज्य सरकार से प्रीमियम का अंशदान प्राप्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो शासन को अवगत कराएं।

<u>ऋण-जमा अनुपात</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की पिछली बैठक में जिला पौड़ी एवं अल्मोड़ा का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में जिला अल्मोड़ा में बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया गया कि वे इस संबंध में आयुक्त कुमायूँ मण्डल से वार्ता कर अवगत कराएं।

<u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित आस्तियों :</u>

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा जानना चाहा कि क्या एन.आर.एल.एम. में दर्शाए गए एन.पी.ए. 29.25%, में पूर्व में प्रायोजित स्वर्ण जयंती शहरी योजना का भाग भी सम्मिलित है। इस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा जाँच कर, स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही उन्होंने बैंकों से कहा कि वे एन.पी.ए. प्रतिशत में कमी लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एन.पी.ए. / सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को ब्याज उपादान योजना का लाभ उठाएं।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिसम्बर, 2018 तक के एन.पी.ए. खातों में ब्याज पर **50%** की छूट देकर "ऋण समाधान योजना" के माध्यम से कवर किया जा रहा है।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया कि वे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन इकाईयों की जाँच करें जिनके खाते एन.पी.ए. हो गए हैं तथा संबंधित बैंक शाखा के एन.पी.ए. प्रतिशत कम करने हेतु उनका सहयोग करें।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठक में एन.पी.ए. का त्रैमासिक तुलनात्मक डाटा योजनावार प्रस्तुत करें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा शासन से अपेक्षा की गयी कि जिला स्तर पर प्रशासन को निर्देशित करेंगे कि वे सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों के विरुद्ध लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में बैंकों का सहयोग करें।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM INDIVIDUALS)</u> :

योजनांतर्गत समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा लक्ष्य 1000 के सापेक्ष विभाग द्वारा मात्र 130 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जुलाई, 2019 माह तक 470 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं तथा अगस्त, 2019 तक 800 एवं दिसम्बर, 2019 के अंत तक 1000 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को अनिवार्यत: प्रेषित कर दिए जाएंगे।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह (NULM SHGs)</u>

योजनांतर्गत समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा लक्ष्य 24 के सापेक्ष मात्र 03 ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति पर विभाग से कम प्रगति का कारण जानना चाहा, जिस पर विभाग द्वारा योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति का आश्वासन दिया गया।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि 2164 प्राप्त ऋण आवेदन पत्रो मे से 217 को स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिस पर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों को विभाग द्वारा अब तक 5000 ऋण आवेदन पत्र सितम्बर, 2019 त्रैमास तक प्रेषित कर दिए जाएंगे तथा वित्तीय वर्ष मे लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में अनुदान राशि **₹ 39.34 करोड़** के सापेक्ष **₹ 2.82 करोड़** का अनुदान वितरण किया गया है। साथ ही सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत इकाइयों को दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक ई.डी.पी. प्रशिक्षण में छूट दी गयी है, ताकि ऋण आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रथम ऋण की किश्त निर्गत कर मार्जिन मनी क्लेम ऑन-लाइन सबमिट किया जा सके।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग विभाग द्वारा वित्तपोषित इकाइयों का सत्यापन तीन वर्ष पश्चात किया जाता है। वित्तपोषित इकाई का खाता अगर एन.पी.ए. हो जाता है तो इस स्थिति में उद्योग विभाग द्वारा इकाई से मार्जिन मनी राशि वापस मांग ली जाती है और बैंक का ऋण NPA हो जाता है। इस पर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह नीतिगत मामला बताया गया एवं सुझाव दिया गया कि इस विषयक आप पत्र द्वारा अवगत कराएं, जिसे हम अपने प्रधान कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकते हैं।

<u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

अपर सचिव (पर्यटन), पर्यटन विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत वित्तपोषण हेतु 11 नई गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, जिससे सभी बैंकों को अवगत करा दिया गया है। प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत प्रगति दर्ज करने हेतु विभाग के प्रतिनिधियों को क्षेत्र में जाना होगा तथा ऋण आवेदन पत्र व्यवहार्य जाँच उपरांत बैंकों को प्रेषित करें।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को कम संख्या में प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों पर असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर अपर सचिव, पर्यटन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कम ऋण आवेदन पत्रों का कारण पाँच जिलों में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी की बैठक कतिपय कारणों से नहीं हुई है। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित जिलों में कमेटी की

बैठक शीघ्र ही आयोजित कर सार्थक / पात्र ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाएं एवं ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जहाँ पर योजनांतर्गत वित्तपोषण की संभाव्यता अधिक हो।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत प्रगति हेतु जिला स्तर पर बैंकों के साथ बैठक आयोजित की जाए एवं पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कैम्प लगाए जाएं।

<u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (पर्यटन विभाग)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा योजनांतर्गत प्रगति हेतु सुझाव दिया गया कि योजना में बड़ी राशि के ऋण प्रस्ताव के स्थान पर छोटी राशि के ऋण प्रस्ताव जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा बैंकों को वित्तपोषण हेतु प्रेषित किए जाने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव जिनमे Conversion of Land Use (143) आवश्यक हो, उनका Land Use विभाग स्तर पर परिवर्तित कराकर, बैंकों को प्रेषित किए जाएं। अग्रणी जिला प्रबंधक ऋण प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता पर **जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी** में ध्यान दें। साथ ही शासन से भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि यदि उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण हैं तो राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करा दिए जाएं। साथ ही अवगत कराया गया कि यह राज्य की महत्वकांक्षी योजना है, जिसे पहाड़ों से पलायन रोकने हेतु तैयार किया गया है। राज्य में कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं, जो क्षेत्रवासियों के आय का एक अच्छा साधन है। बैंकों द्वारा योजनांतर्गत लगभग 50% आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं, जिस पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निरस्त ऋण आवेदन पत्रों के निरस्त किए जाने के कारणों की जाँच करने हेतु कहा गया।

इसी अनुक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक, रुद्रप्रयाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिला रुद्रप्रयाग में प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों एवं होम स्टे स्थापित किए जाने वाले स्थान का निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि उस क्षेत्र में **₹ 40-50 लाख** तक के ऋण हेतु आवेदन किया गया है, जब कि क्षेत्र विशेष में इतना scope नहीं है। इस पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा बताया गया कि ऐसे क्षेत्र विशेष में इतनी बड़ी राशि के ऋण वितरित करना आर्थिक रुप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यह योजना होटल या मोटल बनाने के लिए नहीं है, इस योजना के अंतर्गत 3-4 सुविधायुक्त कमरे ही पर्यटकों के ठहरने हेतु निर्मित किए जाने का प्रावधान है। साथ ही पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया कि वे योजना की आर्थिक व्यवहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए छोटी राशि के ऋण आवेदन पत्र अधिक संख्या में बैंकों को प्रेषित करें।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

शहरी विकास निदेशालय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजना के पूर्ण विवरण का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा हैल्प सेंटर खोले गए हैं। महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभाग

से कम ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत / प्रेषित किए जाने का कारण जानना चाहा, जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा Conversion of Land बताया गया। महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत विभाग द्वारा प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने हेतु दो-तीन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जैसे भूमि का Title Clear होना व Valid Mortgage हो सके एवं आवेदक के पास पूर्व में कोई गृह आवास न हो। EWS आवेदकों को Income Tax Return की आवश्यकता नहीं है।

<u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा बताया गया कि यदि राज्य में स्थित ग्रामीण शाखाओं को छोड़ दिया जाए, फिर भी राज्य में कार्यरत 2182 शाखाओं द्वारा मात्र 71 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाना असंतोषप्रद स्थिति है। इसी अनुक्रम में उनके द्वारा अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को योजनांतर्गत प्रस्ताव बैंकों को उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि एम.एस.एम.ई. इकाइयों को भी उक्त योजनांतर्गत वित्तपोषित किया जा सकता है।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत **30,177** लाभार्थियों को **₹ 404.44 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत वांछित प्रगति दर्ज करने पर बैंकों की सराहना की गयी तथा अपेक्षा की कि आगे भी बैंक योजनांतर्गत अधिक से अधिक ऋण वितरित कर, जनसाधारण को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

<u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए विभाग द्वारा बैंकों को कम ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत प्रगति लाने हेतु अधिकाधिक ऋण आवेदन पत्र source कर बैंक शाखाओं को प्रेषित करें तथा उनका follow up करना सुनिश्चित करें।

अंत में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा बैठक को सार्थक बताया, जिसमें एजेण्डे के सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं में रेखीय विभागों एवं बैंकों को मिलकर कार्य करना होगा। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने हेतु योजनाओं को प्राथमिकताओं प्रदान करनी होगी। रेखीय विभागों से अपेक्षा की गयी कि वे योजनांतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष पात्र ऋण आवेदन पत्र जाँच करने के उपरांत बैंकों को वित्तपोषण हेतु प्रेषित करेंगे। साथ ही अपेक्षा की गयी कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठक में और अधिक अच्छी प्रगति प्रस्तुत की जाएगी।

बैठक समाप्ति की घोषणा करते हुए श्री बरकत अली, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कहा गया कि बैंक, रेखीय विभागों के सहयोग से सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी

बैंकों को सार्थक एवं उच्चतम प्रयास करें। उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि, उद्यान एवं उद्योग क्षेत्र में ऋण प्रवाह की अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने सदन को अवगत करा कि बैंक स्तर पर नए सिरे से राष्ट्रीय भागीदारी के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं बैंकों द्वारा भविष्य के लिए कार्ययोजना के निष्पादन के लिए अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने हेतु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के एलाइनमेंट / संरेखण के संदर्भ में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में राज्य सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों एवं बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ दिनांक 23 एवं 24 अगस्त, 2019 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड संयोजक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों की पहचान कर राज्य के आर्थिक विकास हेतु रोडमैप की रुपरेखा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करा दी गयी है।

****